राजीव कृष्णा, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

डीजी परिपत्र संख्या- 15 /2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ – 226002
फोन नं.:0522–2724003/2390240, फैक्स नं.:0522–2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई–मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in

दिनांक:लखनऊ:फरवरी 24 ,2026

विषय: क्रिमिनल अपील संख्या: 7203/2019 कौशल किशोर उर्फ बाबा बनाम उ.प्र. राज्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश 12.02.2026 के अनुपालन में मा0 न्यायालयों द्वारा निर्गत आदेशिकाओं (सम्मन/वारण्ट/नोटिस आदि) के प्रभावी तामीला हेतु निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

पत्र सं.- डीजी-एस-सात-14 (e-Summon)/2024 दि. 29.01.2026
डीजी परिपत्र सं0-08/2025 दि.28.02.2025
डीजी परिपत्र सं0-45/2024 दि.09.12.2024
डीजी परिपत्र सं0-09/2024 दि.05.03.2024
डीजी परिपत्र सं0-03/2024 दि. 19.01.2024
शासनादेश सं-एचसी-100/छ:-पु0-9-2023 दि.14.10.2023

मा0 न्यायालयों द्वारा निर्गत आदेशिकाओं (सम्मन/वारण्ट/नोटिस आदि) के प्रभावी तामीला हेतु इस मुख्यालय स्तर से समय-समय पर पार्श्वांकित बॉक्स में अंकित डीजी परिपत्रों के माध्यम से विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। क्रिमिनल अपील संख्या: 7203/2019 कौशल किशोर उर्फ बाबा बनाम उ.प्र. राज्य में दिनांक 12.02.2026 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई के दौरान मा0 विचारण न्यायालय द्वारा निर्गत NBW का निष्पादन न होने के कारण अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। मा0 न्यायालयों द्वारा निर्गत आदेशिकाओं (सम्मन/वारण्ट/नोटिस आदि) के प्रभावी तामीला हेतु डीजी परिपत्र संख्या-40/2023 द्वारा उ0प्र0 प्रत्येक कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त व जनपद स्तर पर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करते हुये सम्मन /वारण्ट / नोटिस आदि के प्रभावी तमीला हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं किन्तु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा इन निर्देशों का पूर्ण अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

2- क्रिमिनल मिस. जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-9126/2023 जितेन्द्र बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांकित 14.09.2023 के अनुपालन में सम्मन/वारण्ट के तामीला की व्यवस्था को प्रभावी बनाने तथा प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-एचसी-100/छ:-पु0-9-2023 दिनांकित 14.10.2023 तथा डीजी परिपत्र संख्या-40/2023 दिनांकित 10.10.2023 में दिये गये निर्देशों को शपथपत्र के माध्यम से मा0 उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उ0प्र0 शासन तथा इस मुख्यालय स्तर से निर्गत उपरोक्त निर्देशों पर विचार करते हुये क्रिमिनल मिस. जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-9126/2023 उपरोक्त में आदेश दिनांकित 20.12.2023 पारित किया गया, जिसमें इन निर्देशों को सम्यक एवं उपयोगी पाते हुए मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इन्हें न्यायिक निर्णय का अंश बनाया गया है तथा यह निर्देशित किया गया है कि इन निर्देशों का अनुपालन न्यायिक आदेश के रूप में किया जाए।

3- सम्मन/वारण्ट/नोटिस आदि के प्रभावी तामीला हेतु NIC द्वारा ई-सम्मन एप्लीकेशन तथा पोर्टल विकसित किया गया है, जिसे उ0प्र0 राज्य में क्रियाशील किया जा चुका है। ई-सम्मन पोर्टल पर सम्मन/वारण्ट/नोटिस आदि का तामीला पूर्ण तभी माना जाता है जब तामीला के उपरान्त तामीला रिपोर्ट ई-सम्मन पोर्टल के माध्यम से सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की गयी हो।

4- अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि सम्मन/वारण्ट/नोटिस आदि के प्रभावी तामीला किये जाने के सम्बन्ध में इस मुख्यालय स्तर से पूर्व में निर्गत डीजी परिपत्रों एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। समस्त कमिश्नरेट/जनपद के नोडल अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि सम्मन/वारण्ट/नोटिस आदि का तामीला प्रभावी रूप से कराना सुनिश्चित करें। ई-सम्मन एप्लीकेशन तथा पोर्टल के माध्यम से प्राप्त सम्मन/वारण्ट/नोटिस आदि के तामीला की रिपोर्ट पोर्टल के माध्यम से ही सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाए। यदि इन निर्देशों के अनुपालन में किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा शिथिलता बरती जाती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

भवदीय

24/-

(राजीव कृष्णा)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपि-निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-</u>

1-अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उत्तर प्रदेश।
2-अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उत्तर प्रदेश।
3-समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4-पुलिस महानिरीक्षक, लोक शिकायत, उत्तर प्रदेश।
5-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षिक, उत्तर प्रदेश।
6-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, विधि प्रकोष्ठ, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।